



बुद्धा स्तुप (पटना)

# कार्यपालक सारांश

## पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 के दौरान बिहार सरकार के वित्त पर वित्तीय निष्पादन का आकलन करने तथा राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल को उचित प्रकार से वित्तीय आंकड़ों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण के रूप में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। इस विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) संशोधन अधिनियम, 2010, तेरहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2010-11 में दिये गए लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की तुलना का प्रयास किया गया है।

## यह प्रतिवेदन

मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित इस प्रतिवेदन में सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गई है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

**अध्याय-1** वित्त लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित हैं और 31 मार्च 2011 तक के बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह राजकोषीय प्रतिबद्ध व्यय एवं उधार प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने एवं बजट से इतर मार्ग से राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे स्थानांतरित केन्द्रीय निधियों की संक्षिप्त लेखा उपलब्ध कराता है।

**अध्याय-2** विनियोग लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढंग का वर्णन करता है।

**अध्याय-3** विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की एक सूची है। लेखा परीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से एकत्रित किये गए आँकड़ें भी इस अध्याय में होते हैं।

## लेखा परीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

### अध्याय 1

**राजस्व प्राप्तियाँ:** पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व/संघीय करों का अंशदान/ शुल्क एवं भारत सरकार से अनुदान के कारण हुई। सरकार वर्ष 2006-11 के दौरान राजस्व अधिशेष बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। राजस्व घाटा को दूर करने के लिए तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को पहले ही प्राप्त कर लिया गया। चालू वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष में वृद्धि भी बनी रही। चालू वर्ष के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 1.86 प्रतिशत था जो तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा (3.5 प्रतिशत) के अन्दर ही था।

**ब्याज अदायगियाँ :** वर्ष 2009-10 की तुलना में इस वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियों (₹ 4319 करोड़) में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बजट अनुमान

(₹ 4513 करोड़) एवं तेरहवें वित्त आयोग के मानक मूल्यांकन (₹ 4439 करोड़) के प्रक्षेपण के अंतर्गत थे ।

**राजस्व व्यय :** पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं यह कुल व्यय का 79 प्रतिशत था जिसमें राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत गैर योजना राजस्व व्यय था । पूर्व वर्ष की तुलना में गैर योजना राजस्व व्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं चालू वर्ष के बजट अनुमान (₹ 29683 करोड़) के भीतर रहा । गैर योजना राजस्व व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण वेतन, पेंशन ब्याज अदायगियों एवं आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के अन्तर्गत प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि होना था ।

सरकारी लोक क्षेत्र उपकर्मों आदि के परिचालन कुशलता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता (सब्सिडी) भुगतान में कटौती पर विचार कर सकती है । तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार सभी राज्यों को मार्च 2011 तक अकार्य लोक क्षेत्र उपकर्मों को बंद करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए ।

**पूँजीगत व्यय :** पूर्व वर्ष की तुलना में राज्य के पूँजीगत व्यय में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

**अपूर्ण परियोजनाएँ :** वर्ष 2010-11 के अंत तक 350 अपूर्ण परियोजनाओं में कुल ₹ 1005 करोड़ की निधियों को अवरुद्ध किया गया था । इन अपूर्ण परियोजनाओं पर समय एवं लागत वृद्धि को कम करने की आवश्यकता है जिससे बिहार की जनता की राशि का महत्व सुनिश्चित किया जाए ।

**सरकारी निवेशों की समीक्षा :** सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कंपनियों एवं सहकारी संस्थानों में सरकारी निवेशों का औसत रिटर्न विगत पाँच वर्षों में शून्य एवं 0.28 प्रतिशत के बीच रहा, जहाँ इसका औसत ब्याज 7.15 से 6.87 प्रतिशत के बीच रहा । यह एक जटिल समस्या है ।

अतः सरकार को निवेशों में धन का उचित मूल्य प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए अन्यथा परियोजनाओं में निम्न वित्तीय वापसी पर निवेशित उच्च मूल्य उधार निधि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती रहेगी । निम्न वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक आर्थिक रिटर्न के कारण युक्तिसंगत लगने वाले परियोजनाओं को अभिज्ञान में लिया जा सकता है तथा उन्हें उच्च मूल्य उधार हेतु न्यायसंगत प्राथमिकता दी जा सकती है । समय आ गया है कि व्यापक हानि होने वाले राज्य समर्थित लोक क्षेत्र उपकर्मों के कार्य की समीक्षा की जाय जो रणनीतिक प्रकृति की है तथा जिन उपकर्मों को जीवंत किया जा सकता है उनके लिए उत्थान की रणनीति तैयार की जाय तथा शिथिल इकाईयों का इक्विटी विनिवेशित कर बंद किया जाय ।

**रोकड़ शेष की स्थिति :** पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष के अंत तक रोकड़ शेष में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई । चूँकि अवरुद्ध रोकड़ शेष का अनुरक्षण एक विवेकपूर्ण रोकड़ प्रबंधन नीति नहीं है अतः कई परियोजनाओं को अपने पूर्ण एवं अनुमोदित तकनीकी-आर्थिक साध्यता मूल्यांकन के साथ तैयार रखना चाहिए ताकि उधार के समय तथा उत्पादक निवेश की ओर इन निधियों के परिचालन के बीच की असमानता को कम किया जा सके ।

**राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा निधि का सीधे हस्तांतरित निधि में चूक :** भारत सरकार ने वर्ष के दौरान कुल ₹ 10309 करोड़ राशि राज्य क्रियान्वयन समितियों को सीधा हस्तांतरण किया जिसमें पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 5127 करोड़ (99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । चूँकि ये निधियाँ सरकारी लेखे से नहीं गुजरती, इसलिए भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित किये गए राशि का

इन संगठनों द्वारा लेखों के अनुरक्षण एवं निधियों के उपयोग में चूक का खतरा बना रहता है। इन सभी एजेंसियों द्वारा किये गए एकरूप लेखाकरण के अभाव में उचित प्रलेखन नहीं हुआ। सरकार द्वारा व्यय की स्थिति के बारे में समयबद्ध प्रतिवेदन में सुनिश्चित की जानी चाहिए कि राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधि का समुचित लेखाकरण किया जाय तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किये गए व्यय के समुचित अनुश्रवण के लिए राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा अद्यतन सूचना को वैधता दी जाय।

अध्याय 2

**वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण :** ₹ 273.71 करोड़ के बजट आवंटन पर अधिकाई की क्षतिपूर्ति करने के बाद भी राज्य में विभिन्न सामाजिक एवं विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति से ₹ 144.74 करोड़ की सम्पूर्ण बचत हुई। इस अधिकाई व्यय को संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमित करने की आवश्यकता थी। निधियों के अपचापत प्रावधान और अनावश्यक/आधिक्य पुनर्विनियोजन के उदाहरण थे। वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय राज्य में अन्य पुराना अवशेष था। अनेक मामलों में अनुमानित बचतें या तो अभ्यर्पित नहीं थे या वित्तीय वर्ष के अंतिम दो कार्यदिवसों में अभ्यर्पित किये गए थे, जिससे अन्य विकास प्रयोजनों में इन निधियों का उपयोग नहीं हो सका।

वित्तीय प्रबंधन में ऐसे कमियों को दूर करने के लिए बजटीय नियंत्रण पर पैनी नजर रखनी चाहिए। अंतिम मिनट में निधि को मुक्त करने एवं पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण जारी करने से बचना चाहिए। अनुदानों पर आधिक्य व्यय से बचने के लिए नियंत्रण पदाधिकारियों को आवंटनों के विरुद्ध किए गए व्यय पर पैनी नजर रखनी चाहिए।

अध्याय 3

**वित्तीय प्रतिवेदन :** विभिन्न नियमों प्रक्रियाओं एवं निदेशों के अनुपालन में सरकार का कार्य विभिन्न विभागों में असंतोषजनक था, जो कि विभिन्न प्रतिभूति संस्थानों द्वारा ऋण तथा अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाणपत्र को पूर्ण करने में हुए विलंब से स्पष्ट था। हानि एवं दुर्विनियोजन के मामलों के भी उदाहरण थे जिसकी विभागीय कार्रवाई लम्बी अवधि से लंबित थे। ऐसे मामलों में विभागीय जाँच को सुदृढ़ की जानी चाहिए जिससे की दोषियों को प्रकाश में लाया जा सके। भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

वर्ष 2010-11 के दौरान बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियों/ व्यय के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं व्ययों के अधिकतम राशि को वर्गीकृत किया गया था जिसे वित्तीय प्रतिवेदन में अधिक पारदर्शिता के लिए दूर करना चाहिए था। 31 मार्च 2011 तक नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा आकस्मिक सार बिल पर अग्रिम निकासी के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल समर्पित नहीं किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में गिनामित रूप से इंगित किये जाने के बावजूद इस अवधि के दौरान व्यय के आंकड़ों का समाधान नहीं होने का मुद्दा बना रहा। ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा एक सुदृढ़ अनुश्रवण प्रणाली तैयार करना चाहिए ताकि निर्धारित अवधि के अन्दर सार आकस्मिक बिल का समायोजन सुनिश्चित हो सके।